

News item 'When Justice becomes Casualty'

1483. SHRI N. K. P. SALVE:

SHRI SWAMI DINESH
CHANDRA;

SHRI MURLIDHAR CHAN-
DRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS
be pleased to state;

(a) whether Government's attention
has been drawn to the Views items
published in the 'Indian Express' of
December 20, 1981 under the caption
'When Justice becomes casualty'; and

T (b) if so, what action Government propose
to take to remedy the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND
DEPARTMENT OF PARLIA-
MENTARY AFFAIRS (SHRI 'p.
VENKATASUBBAIAH): (a) The new
item captioned "When Justice becomes
casualty" does not appear in the Indian
Express' of December, 20, 1981 (Delhi
Edition).

\ (b) Does not arise.

जनगणना के कार्य के लिए भर्ती किए
गए कर्मचारी

1484. श्री. सुन्दर सिंह भंडारी :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे
कि :

(क) 1981 के जनगणना कार्य के
लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों में से कितने
कर्मचारियों को बाद में विभिन्न सरकारी
कार्यालयों में नौकरियां दे दी गई थी ;

(ख) 1981 के जनगणना के कार्य
के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों में से
कितने कर्मचारियों को बाद में विभिन्न
सरकारी कार्यालयों में नौकरियां दे दी गई

और शेष कर्मचारियों को खपाने के लिए
कौनसी योजनाएं विचारार्थ हैं ; और

(ग) जनगणना का कार्य करते हुए
जिन कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति हेतु
अधिकतम आयु सीमा पूरा हो गई उनके
बारे में सरकार क्या कदम उठाने का विचार
रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. निहार
रंजन लस्कर) : (क) विभिन्न सरकारी
कार्यालयों में पदों पर सारे देश में भर्ती
भिन्न-भिन्न समय पर, अलग-अलग स्रोतों
और प्रणालियों के माध्यम से अनेक नियुक्त
अधिकारियों द्वारा का जत है और ऐसी
काई केन्द्रीकृत एजेंसी नहीं है जिससे यह सूचना
उपलब्ध की जा सके। अतः खेद है कि यह
सूचना प्रस्तुत की जाना संभव नहीं है।

(ख) अस्थायी जनगणना कर्मचारियों
की छंटनी हल ही में आरम्भ की गई है और
अधिकांश मामलों में 28 फरवरी, 1982 से
ऐसा संभावना नहीं कि इतनी जल्दी काफी
व्यक्तियों का अन्य सरकारी नौकरियों में
खर्चा लिया गया हो। इसके अतिरिक्त
(क) में उल्लिखित कारणों से भी ऐसी कोई
केन्द्रीय एजेंसी नहीं है जिससे ऐसी सूचना
प्राप्त की जा सके। इस प्रकार छंटनी किए
गए कर्मिकों के पुनर्वास में यथासंभव
सहायता करने के लिये राजस्व कार्यालयों के
रजिस्ट्रारों में उच्च अग्रता और आयुसीमा में
छूट देने जैसे कदम उठाए गए हैं। राज्य
और केन्द्रीय प्रशासन सहित सभी सरकारी
एजेंसियों से यह भी अनुरोध किया गया है
कि छंटनी किए गए कर्मचारियों को रोजगार
देने में सहायता करें।

(ग) नियमों के अधीन छंटनी किए
गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारों जिन्होंने
सरकार के अधीन लगातार छः मास से अधिक
की सेवा की है और उनको स्थापना में कभी
होने के कारण सेवा से हटा दिया गया है वे